



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1154]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1154]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016.

का.आ. 1723(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, चंडीगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, चंडीगढ़ कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|--|-------------|
| (1) | श्री खजान सिंह, आई एफ एस (सेवानिवृत्त)
पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव, वार्डन, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह,
सं. 5 सूर्या एनक्लेव, सेक्टर 115, खरार लड्डान, एस ए एस नगर, मोहाली, पंजाब। | —अध्यक्ष |
| (2) | डॉ. वी के रतन, इंजीनियरी आचार्य, रसायन
रसायन इंजीनियरी विभाग,
पंजाब विश्व विद्यालय, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| (3) | निदेशक, पर्यावरण
चंडीगढ़ प्रशासन। | —सदस्य-सचिव |

2. चंडीगढ़ प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. चंडीगढ़ प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. चंडीगढ़ प्राधिकरण अपने विनिश्चय को पैरा 5 के अधीन चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर आधारित करेगा।

5. केंद्रीय सरकार, चंडीगढ़ प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजनों हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, चंडीगढ़ का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | प्रो. एस सी जैन,
म. सं. 1607, सेक्टर-44 बी,
चंडीगढ़ | —अध्यक्ष |
| 2. | श्री मलविंदर सिंह,
10-गिल एसन्लेव, हीरा नगर के पास,
पटियाला - 148001 | —सदस्य |
| 3. | श्रीमती सुमीत कौर,
म. सं. 276, सेक्टर-10,
चंडीगढ़ -160010 | —सदस्य |
| 4. | प्रो. अमरीक सिंह आहलूवालिया,
वनस्पति विज्ञान विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। | —सदस्य |
| 5. | श्री मेवा सिंह छिब्वर (आई एफ एस),
#2044, सेक्टर-21/सी,
चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 6. | डा. संजय शर्मा,
आचार्य और विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरी
विभाग, एन आई टी टी टी आर, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 7. | डा. वाई. के. रावल,
सहायक आचार्य, जीव-विज्ञान विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 8. | श्री नवल किशोर, आचार्य,
भू-विज्ञान विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 9. | डा. हरिपाडा भूनिया, आचार्य
रसायन इंजीनियरी विभाग,
थापर विश्वविद्यालय, पटियाला। | —सदस्य |
| 10. | वैज्ञानिक एस ई
पर्यावरण विभाग,
चंडीगढ़, प्रशासन | —सदस्य- सचिव |

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि मतैक्य पर नहीं पहुंचा जा सकता हो तो बहुसंख्या का विचार अभिभावी होगा।

9. चंडीगढ़ सरकार, चंडीगढ़ प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी संविधिक कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संचार-तंत्र, का समर्थन का उपबंध करेगा जिसके अंतर्गत वास-सुविधा और अन्य सुविधाएं भी हैं।

10. चंडीगढ़ प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को चंडीगढ़ में संबद्ध नियमों के अनुसरण में बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं.-11013/21/2007- आई. ए. II (I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016.

S.O. 1723(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Chandigarh (hereinafter referred to as the Authority, Chandigarh) comprising of the following members, namely: -

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Shri Khazan Singh, IFS (Retired)
Formerly Principal Chief Conservator of
Forests and Chief Wild Life Warden,
Andaman and Nicobar Islands.
No. 5 Surya Enclave, Sector- 115, Kharar
Ladran, SAS Nagar, Mohali Punjab. | - Chairman |
| 2. | Dr. V.K. Rattan,
Professor in Chemical Engineering,
Department of Chemical Engineering,
Punjab University, Chandigarh. | - Member |
| 3. | Director, Environment,
Chandigarh Administration | - Member- Secretary |

2. The Chairman and members of the Authority, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Chandigarh shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Chandigarh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the Union Territory of Chandigarh.

5. For the purposes of assisting the Authority, Chandigarh, the Central Government, in consultation with the Government of Chandigarh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Chandigarh comprising of the following members, namely :-

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Prof. S.C. Jain,
H.No 1607 Sector -44-B,
Chandigarh. | —Chairman |
| 2. | Shri Malwinder Singh,
10- GILL Enclave, Near Hira Nagar,
Patiala-147001 | —Member |
| 3. | Smt. Sumit Kaur,
House No. 276, Sector 10,
Chandigar-160010 | —Member |
| 4. | Prof. Amrik Singh Ahluwalia,
Department of Botany,
Punjab University, Chandigarh. | —Member |
| 5. | Sh. Mewa Singh Chibber (IFS),
#2044 Sector -21/C,
Chandigarh. | —Member |

6.	Dr. Sanjay Sharma, Professor and Head of Civil Engineering Department, NITTTR, Chandigarh.	—Member
7.	Dr. Y.K.Rawal, Assistant Professor, Department of Zoology, Punjab University, Chandigarh.	—Member
8.	Shri Naval Kishor, Professor, Department of Geology, Punjab University, Chandigarh.	—Member
9.	Dr. Haripada Bhunia, Professor, Department of Chemical Engineering Thapar University, Patiala.	—Member
10.	Scientist 'SE', Department of Environment, Chandigarh Administration	—Member- Secretary

6. The Chairman and members of State Level Expert Appraisal Committee, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Chandigarh shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Chandigarh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Chandigarh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Chandigarh and the State Level Expert Appraisal Committee, Chandigarh, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority, Chandigarh and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Chandigarh shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Chandigarh.

[F. No. J-11013/ 21/ 2007- IA.II (I)]
MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.